

# फर्द अहकाम


न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

परीलाई ४६ पेमीबाई विपक्षी भवनलाल

मुकदमा

का६

पत्रावली संख्या १०९/१४ सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>२२/५/२५ वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. तलवी न.३/१।.कायम के लिबे मौका चाहते है। अतः अतिरिक्त अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. २६/६/२५ को पेश हो। M (SDO) मावली</p>	
<p>१२/६/२५ पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक १७/७/२५ को पेश हो। D1° S</p>	
<p>१७/७/२५ वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. तलवी न.३/१।.कायम के लिबे मौका चाहते है। अतः अतिरिक्त अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. १८/८/२५ को पेश हो। M (SDO) मावली</p>	
<p>२८/८/२५ वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. तलवी न.३/१।.कायम के लिबे मौका चाहते है। अतः अतिरिक्त अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. २६/९/२५ को पेश हो। M (SDO) मावली</p>	
<p>२९/९/२५ पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक २७/१०/२५ को पेश हो। BPS</p>	

27/10/25  
वकुलाब वादी/प्रतिवादी उप तलवी/वारिस कायमा  
के लिये मौका चाहते है। अतः 27/10/25 की शर्त पर  
प्रवसर दिया जाकर पत्रावली दि 15/12/25  
जेपेश हो।  
(SDO) मावली

15/12/25  
वकुलाब वादी/प्रतिवादी उप तलवी/वारिस कायमा  
के लिये मौका चाहते है। अतः 23/12/25 की शर्त पर  
प्रवसर दिया जाकर पत्रावली दि 23/12/25  
को पेश हो।  
(SDO) मावली

23/12/25  
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता-प्रकाराम एम.।  
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
व्यवहार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य  
स्थगित रखने/अधिकारी जी बाज अककास/  
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश  
के क्रम में दिनांक 27/1/26 को पेश हो।  
8/0  
2

27/01/26  
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीयां मय  
स्वयं वादीया अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीयां मय  
स्वयं वादीया को बार-बार आवाजे दिलवाई गई।  
समय साँघे 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादीयां  
एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं।  
अतः अधिवक्ता वादीया मय स्वयं वादीयां अनुपस्थित  
रहने पर वादीया का वाद अदम राजरी अदम  
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल  
कुमार लेकर नम्बर से कम हों।  
निर्णय शुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) मावली